फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन -03-अधिष्ठान व्यय- 01-वेतन	14556.00	766.60	766.60	500.00	14056.00
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					
29-अनुरक्षण	200.00	80.00	80.00	50.00	150.00
योग-	**14756.00**	**846.60**	**846.60**	**550.00**	**14206.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान व्यय					
08-कार्यालय व्यय	1000.00	1766.60	766.60	500.00	1500.00
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	560.00	640.00	80.00	50.00	610.00
योग -	**1560.00**	**2406.60**	**846.60**	**550.00**	**2110.00**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

(क) परिवहन अधिष्ठान:- मद संख्या 01-वेतन में बचत कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न हो पाने के कारण।

(ख) अधिकरण अधिष्ठान :- मद संख्या-29-अनुरक्षण में बचत कतिपय जनपदों के अधिकरणों का जनपद न्यायालय में शिफ्ट हो जाने तथा प्रत्याशित मरम्मत सम्बन्धी अप्राप्त होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

(क) परिवहन अधिष्ठान:- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में मद संख्या-08-कार्यालय व्यय में प्रस्तावित धनराशि का बजट प्राविधान किन्हीं कारणोंवश स्वीकृत न हो पाने के कारण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 22-07-2024 द्वारा प्रेषित प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में व परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 09-12-2024 द्वारा प्रेषित द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव के मद संख्या-08-कार्यालय व्यय में प्रस्तावित धनराशि का बजट किन्हीं कारणोंवश अस्वीकृत होने के कारण। उक्त मद में बजट मांग की निरन्तरता के क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 23.12.2024 द्वारा प्रेषित 08-कार्यालय व्यय मद में रू0 766.60 लाख के पुनर्विनियोग प्रस्ताव के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि का बजट किन्हीं कारणोंवश अस्वीकृत होने के कारण।

(ख)- अधिकरण अधिष्ठान :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में मद संख्या-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में प्रस्तावित धनराशि का बजट प्राविधान किन्हीं कारणोंवश स्वीकृत न हो पाने के कारण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 22-07-2024 द्वारा प्रेषित प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में मद संख्या 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 225.00 लाख के सापेक्ष रू0 60.00 लाख की अनुपूरक धनराशि स्वीकृत हो पाने व परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 09-12-2024 द्वारा प्रेषित द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में उक्त मदों में किसी भी धनराशि का बजट किन्हीं कारणोंवश अस्वीकृत होने के कारण। उक्त मद में बजट मांग की निरन्तरता के क्रम में परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 23.12.2024 द्वारा प्रेषित 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 130.00 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 50.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोजित हो पाने के कारण।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये उक्त संक्रमण हेतु प्रत्याशित मदों में से परिवहन अधिष्ठान की मद संख्या-08-कार्यालय व्यय में बजट की उपलब्धता शून्य होने के कारण जनसामान्य से जुड़े कार्य (ड्राइविंग लाइसेंस को डाक के माध्यम से डी0एल0 धारक के पते पर पहुंचाना) की देयता लंबित है। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यालय को प्रस्तुत किये गये व आगामी माह के बिलों (माह अगस्त 2024 से फरवरी 2025) तक पारण किया जाना शेष है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना की मद संख्या 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में पीठासीन अधिकारियों के बजट मांग पत्र (शासनादेश संख्या-540/तीस-3-2021, दिनांक 26.08.2021 द्वारा प्रति पीठासीन अधिकारी के लिए इनोवा कार का बेस मॉडल तथा अधिकतम व्यय की धनराशि रू0 75,000/- प्रतिमाह अनुमन्य है) लम्बित है। बजट की अपर्याप्तता के कारण पीठासीन अधिकारियों द्वारा इस मद में निरन्तर बजट की मांग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-604, दिनांक 18.03.2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2025/529/तीस-3-2025, दिनॉक 19 मार्च , 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।